कार्यालय जिला पंचायत श्योपुर (म0प्र0)

क्रमांक/स्टोर/वा.अप.नि./2010/ 12061 श्योपुर, दिनांक 14-10-10

-:: विज्ञप्ति ::-

कार्यालय जिला पंचायत श्योपुर के निष्प्रयोजित वाहन जहाँ है, जैसी है, के विक्रय हेतु खुली नीलामी निम्नानुसार कॉलम नंबर 5 में दर्शाये कार्यालय में आमंत्रित की जाती है -

क्र.	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	अमानत राशि	नीलामी का स्थान	खुली नीलामी का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	MP 31-D0048	मार्शल जीप	5000.00	कार्यालय जिला पंचायत श्योपुर	08-11-2010

नीलामी की शर्ते :-

आवेदक को बोली प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार शर्तो का पालन करना अनिवार्य है -

1. वाहन जहाँ है तथा जिस हालत में है, लिया जायेगा।
2. बोलीदार को वाहन की धरोहर राशि रूपये 5000/- (पाँच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कॉलम नंबर 5 में अंकित कार्यालय प्रमुख के नाम से नीलामी/बोली के पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा एवं वही व्यक्ति बोली में भाग ले सकेगा। बोली स्वीकृत नहीं होने की दशा में धरोहर राशि वापसी योग्य होगी।
3. वाहन स्थिति का जायजा आवेदक लेना चाहता है तो कार्यालय प्रमुख से जानकारी प्राप्त कर अवलोकन किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन समय में वाहन का अवलोकन कर सकते हैं।
4. इच्छुक व्यक्ति बोली/नीलामी हेतु कॉलम 6 में दर्शाये दिनांक को प्रातः 11.00 बजे से बोली लगाने तक संबंधित कार्यालय में भाग ले सकते हैं।
5. जिस व्यक्ति की बोली/नीलामी स्वीकार की जावेगी, उसे क्रय राशि का 25 प्रतिशत उसी दिन कार्यालय में जमा कराना होगा। नीलामी के दिन को मिला कर 07 दिवस में शेष राशि कार्यालय प्रमुख के पास नगद जमा करानी होगी, तत्पश्चात् ही वाहन की डिलेवरी दी जायेगी। बोलीदारों द्वारा लगाई गई बोली को कार्यालय प्रमुख द्वारा किसी भी दशा में स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा तथा इस संबंध में वाद विवाद किसी भी न्यायालय में ग्राह्य नहीं होगा।
6. बोली स्वीकृत होने के पश्चात् यदि डिलीवरी नहीं ली जाती है तो अमानत राशि वापस नहीं होगी तथा वह राशि शासनहित में राजसात कर ली जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत श्योपुर (म0प्र0)